(177)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण कमांक 1075–तीन/2005 अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15–3–2005 पारित व्दारा आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा – प्रकरण कमांक 319/2003–04 अपील

1– जगदीश 2– दशरथ 3– चन्द्रमणि
पुत्रगण पीताम्बरा पटैल
4– रेवतीरमण पुत्र शिवनाथ पटैल
सभी ग्राम गुढ़वा तहसील सिरमौर जिला रीवा ———आवेदकगण

विरूद्व

1– गणेशप्रसाद पुत्र बल्देव पटैल
2– सिद्वमुनि पुत्र शंभू पटैल
3– श्यामलाल पुत्र गणपति पटैल
4– विन्ध्येश्वरी पुत्र गणेश पटैल
5– रामखेलावन 6– अशोक कुमार
दोनों पुत्रगण श्यामलाल पटैल
सभी निवासी ग्राम गुढ़वा तहसील सिरमौर
जिला रीवा मध्य प्रदेश ———अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श

(आज दिनांक 17 –8 –2017 को पारित)

आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 317/2003–04 अपील में पारित आदेश दिनांक 15–3–2005 के विरूद्व म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष की सामिलाती भूमि का रजिस्टर्ड विभाजन प्रस्तुत होने पर नायव तहसीलदार गंगेव ने प्र0क0 55 अ–27/98–99 में पारित आदेश दि. 26–11–1999 से शासकीय अभिलेख में अमल किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष

दो अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने दोनों प्रकरणों में सुनवाई उपरांत संयुक्त आदेश दिनांक 25—9—2001 पारित किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रकरण नायव तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया। नायव तहसीलदार गंगेव ने पक्षकारों को सुनकर आदेश दि0 28—7—2003 पारित किया तथा भूमि का पुर्नविभाजन कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने प्रकरण कमांक 204/अ—27/2002—03 अपील में पारित आदेश दिनांक 29—4—2004 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28—7—2003 निरस्त कर दिया एंव नायव तहसीलदार व्दारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 26—11—1999 को स्थिर रखा। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। आयुक्त रीवा संभाग ने प्रकरण कमांक 317/2003—04 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—3—2005 से अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर का आदेश दिनांक 29—4—2004 निरस्त कर दिया तथा नायव तहसीलदार गंगेव को निर्देश दिये कि नायव तहसीलदार व्दारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 28—7—2003 के अनुसार बटवारा स्वीकृत कर नामान्तरण कार्यवाही की जाय। आयुक्त रीवा संभाग के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख में आये तथ्यों का परिशीलन करने पर स्थिति यह है कि आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 317/2003—04 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—3—2005 के पैरा—2 में इस प्रकार अँकन है :—

" ग्राम गुढ़वा तहसील सिरमौर स्थित आराजी खसरा नं. 483/1 रकबा 1.44 एकड़, 518 रकबा 0.99 एकड़, 519 रकबा 1.33 एकड़, 520 ैकबर 1.43 एकड़, 521 रकबा 0.41 एकड़, 522 रकबा एकड़ अपीलार्थी एंव उत्तरवादीगण की पैतृक भूमियां हैं। आपसी बटवारा होने के वाद उत्तरवादीगण व्दारा नायव तहसीलदार गंगेव के समक्ष नामान्तरण

हेतु आवेदन दिये जाने पर नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 55 अ—27 / 98—99 में पारित आदेश दिनांक 26—11—99 से रेस्पा0 जगदीश प्रसाद वगैरह के नाम रजिस्टर्ड बटवारा के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत किया है।''

विचार योग्य है कि जब बटवारा एंव नामान्तरण कार्यवाही रजिस्टर्ड बटवारे पर आधारित है एंव रजिस्टर्ड बटवारा तभी संभव है जब सभी पक्षकारों ने सहमत होकर बटवारे का लेख हस्ताक्षरित करके पॅजीयन कराया है। ऐसी स्थिति में जब तक रजिस्टर्ड बटवारा जीवित है एंव सक्षम न्यायालय व्दारा शून्य घोषित नहीं कर दिया जाता, रजिस्टर्ड बटवारे पर से नायव तहसीलदार गंगेव व्दारा प्र0क0 55 अ—27 / 98—99 में पारित आदेश दि. 26—11—1999 से की गई बटवारा / नामान्तरण कार्यवाही यथावत् रहेगी। अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर व्दारा प्र.क. 204 अ—27 / 2002—03 में पारित आदेश दि. 29—4—04 से नायव तहसीलदार व्दारा रजिस्टर्ड बटवारे अनुसार किये गये बटवारा / नामान्तरण कार्यवाही आदेश दिनांक 26—11—99 को यथावत् रखने में त्रृटि नहीं की है। रजिस्टर्ड बटवारे के आधार पर अमल हेतु नायव तहसीलदार के आदेश दि. 26—11—99 से पीढ़ित पक्षकार सक्षम न्यायालय में रजिस्टर्ड बटवारा शून्य घोषित कराने हेतु स्वतंत्र है। आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्र.क. 317 / 2003—04 अपील में पारित आदेश दि. 15—3—2005 में भ्रामक निष्कर्ष निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29—4—04 को निरस्त करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 15—3—2005 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5 /　उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 317 / 2003—04 अपील में पारित आदेश दिनांक 15—3—2005 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर